

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर (मोप्र०)

क्रमांक 232 / परिपत्र /

परिपत्र

शाजापुर, दि 0-17/03/2023

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि जिला स्थापना पर कार्यरत कर्मचारीगण न्यायालयों एवं अनुभागों को उपलब्ध कराई जा रही स्टेशनरी का व्यक्तिगत कार्यों के लिए उपयोग कर कार्यालय में पत्राचार कर रहे हैं, जो उचित नहीं हैं।

अतएव इस स्थापना पर पदस्थ समस्त कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालयों एवं अनुभागों के लिए उपलब्ध कराई गई स्टेशनरी का अपने व्यक्तिगत कार्यों में उपयोग न करें, यदि व्यक्तिगत उपयोग किया जाना पाया जाता है तो संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

पृ. क्रमांक १०१ / परिपत्र /
५

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शाजापुर मध्यप्रदेश
शाजापुर, दि 0-17/03/2023

प्रतिलिपि :-

01. प्रभारी अधिकारी, ग्रन्थालय अनुभाग, शाजापुर
02. समस्त तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण जिला स्थापना शाजापुर
02. प्रशासनिक अधिकारी/उप-प्रशासनिक अधिकारी/लेखापाल, जिला न्यायालय शाजापुर
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शाजापुर मध्यप्रदेश